

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

नामा0 अपील संख्या: 03/2023 अपील

निर्णय दिनांक : 22.04.2024



उनवान

1. राजकुमार बाफना पुत्र श्री हनुमानमल बाफना
 2. श्रीमती राजश्री बाफना पत्नी राजकुमार बाफना
 3. श्रीमहक बाफना पुत्र श्री राजकुमार बाफना
- समस्त जाति जैन निवासी एफ-298 श्याम पथ श्याम नगर सोडाला जयपुर जिला जयपुर राज.

-----अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लासाडिया पंचायत समिति फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.
2. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज.

-----रेस्पोंडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 726 दिनांक 22.02.2021

निर्णय दिनांक: 22.04.2024

—: निर्णय :-

संक्षेप में वाकियात अपील हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 49 के खसरा नंबर 282/2 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, 283/2 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, 284/2 रकबा 0.4805 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गड्डूडा पटवार हल्का नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है, जिसमें से अपीलान्ट्स ने खातेदार छीतर पुत्र रामनारायण से खसरा नंबर 282/2 में से 7/13 हिस्सा, खसरा नंबर 283/2 का सम्पूर्ण हिस्सा, ख0नं0 284/2 का 15/38 हिस्सा की भूमि क्रय की है। उक्त आराजीयात को अपीलान्ट ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2020 को क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत लसाडिया ने नामांतरकरण संख्या 726 दिनांक 22.02.2021 को अपने अधिकारों से परे जाकर अस्वीकृत किया है। जो निम्न कारणों से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी को जरिये विक्रय पत्र से क्रय किया है जब अपीलान्ट ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण की नकले लेने की चाराजोही की तो अपीलान्ट को अभी हाल ही में दिनांक 24.03.2021 को जब पटवारी हल्का से जमाबंदी व नामांतरकरण की नकले लेने पर जानकारी हुई कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत लसाडिया द्वारा नामांतरकरण को खारिज कर दिया है। नकले लेने पर अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार तहसील फागी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार फागी ने सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए कहा जिस पर

उपखण्ड अधिकारी लगातार.....2

फागी, जिला-दूदू



(2)

अपीलान्त ने बिना किसी देरी के उपर्युक्त नामान्तरण संख्या 726 की अपील प्रस्तुत कि है। अपीलान्त में उक्त आराजी की जमाबन्दी नामान्तरण की पटवार पडत पटवारी हल्का से प्राप्त की एवं कागजात को अधिवक्ता को दिखवाकर आवश्यक कानूनी चाराजोही हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति कि एवं बिना किसी देरी के यह अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 726 दिनांक 22.02.2021 की श्रीमान न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है कि उक्त आराजी को अपीलान्त ने पूर्व खातेदार से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2020 को क्रय किया है। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत, लसाडिया द्वारा विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनाकर अपनी मनमर्जी से उक्त नामान्तरण को खारिज कर दिया गया जबकि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रिपोर्ट प्रस्तुत कर नामान्तरण भरा गया है बल्कि ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारों से परे जाकर बिना विधिक प्रक्रिया के ही उक्त नामान्तरण को अस्वीकृत किया है, इसलिये ग्राम पंचायत लसाडिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अपील नामान्तरण संख्या 726 दिनांक 22.02.2021 जो कि, ग्राम पंचायत, लसाडिया तहसील फागी द्वारा तस्दीक किया जाकर अस्वीकृत किया गया है, वह न्याय नियम रिकार्ड व भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान मातहत ग्राम पंचायत, लसाडिया ने उक्त अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करते समय भू-माफिया गिरोह से मिलीभगत करके उनके कहे अनुसार समुचित जांच किये बिना तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करके अपने मनमाने तरीके अनुसार अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने में भारी कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। मातहत ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने समय भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को भली भांति लागू नहीं कर अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने में भारी कानूनी त्रुटि की है, जबकि मातहत ग्राम पंचायत को विक्रय पत्र के आधार पर समुचित जांच पड़ताल करनी चाहिये थी जो नहीं की बल्कि पटवारी व भू-अधिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट को दरकिनार करते हुये उक्त नामान्तरण को बिना किसी अधिकार के ही खारिज कर दिया है, इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 726 दिनांक 22.02.2021 कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य ग्राम पंचायत ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करते समय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित जांच व जानकारी किये बिना अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने व खारिज करने में भारी कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है इस बाबत कोई जांच नहीं की यदि ऐसी जांच की गई तो इस बाबत नामान्तरण पंजिका में इसका उल्लेख अवश्य किया जाता, मातहत ग्राम पंचायत ने ऐसा नहीं करके भारी कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य नामान्तरण है। अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत अपीलान्त को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं होने से अपीलान्त द्वारा सही तथ्यों को सामने नहीं लाया जा सका। फलस्वरूप योग्य ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तरण खारिज किया गया। उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत ने अपीलान्त

उपखण्ड अधिकारी लगातार.....3
फागी, जिला-देहू



(3)

से रुपये हड़पने एवं भू-माफिया को लाभ देने की नियत से खारिज किया है। प्रस्तुत नामान्तरकरण को देखने से प्रतीत होता है कि जो नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया जो विधि विरुद्ध है। क्रेता को किसी भी प्रकार का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। अपीलान्त को उक्त विधि विरुद्ध तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 726 की जानकारी पूर्व में ही नहीं हो सकी अपीलान्त के द्वारा जब दिनांक 24.03.2021 को उक्त आराजी की राजस्व रिकार्ड की नकले पटवारी हल्का से प्राप्त की तब जानकारी हुई जिस पर सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की एवं इसके पश्चात अन्य राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी आदि की नकले दिनांक 24.03.2021 तक प्राप्त होने पर विधिक सलाहकार से सलाह प्राप्त कर उक्त आदेश को चुनौती देने हेतु समस्त प्रतिलिपियों को अधिवक्ता को सुपुर्द कर अपील बिना किसी विलम्ब के अन्दर मियाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है। उक्त अपील में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा मान्य राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी एलआर/1232/2022 जयपुर ग्राम पंचायत, लसाडिया बनाम राजकुमार वगै० प्रस्तुत की गई जिसमें मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2023 को आदेश फरमाया गया एवं उक्त आदेश की पालना में बिना किसी विलम्ब के अपीलान्तस द्वारा उक्त नामान्तरकरण के आदेश की अपील प्रस्तुत की गई है, जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील को सुनने एवं निस्तारण करने का मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वकील अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पोंडेंटस संख्या 01, 02 के विरुद्ध दिनांक 12.04.2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अपीलार्थी की बहस एक तरफा सुनी गई। बहस में अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 726 जो कि दिनांक 11.11.2020 को पजीबन्द विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया। उक्त पर दिनांक 07.01.2021 को पटवारी हल्का नैनस्या ने रिपोर्ट की, कि मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रेता पक्ष के हक मे बेचान का नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच व निर्णय हेतु पेश है आज दिनांक तक कोई स्थगन या रेफरेन्स नहीं है। जिस पर भू० अभिलेख निरीक्षक ने यह जांच रिपोर्ट की, कि मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कालम सं० 7 लगायत 12 की नवीन प्रविष्टि का अंकन किया गया है जो कि नियमानुसार सही है। रिपोर्ट के पश्चात दिनांक 05.02.2021 को ग्राम पंचायत ने निम्नांकित टिप्पणी अंकित की, कि दिनांक 05.02.2021 को उक्त नामान्तरकरण कोरम के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसे कोरम की सर्व सहमति से प्रस्ताव सं० 12 द्वारा यह निर्णय किया गया की आगामी बैठक मे क्रेता पक्ष कोरम के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हों। लिखित नोटिस जारी किया। तत्पश्चात दिनांक 22.02.2021 को पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 04 के तहत निम्नांकित टिप्पणी अंकित की कोरम द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया प्रार्थी को कोरम के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, मगर प्रार्थी द्वारा उपस्थित न होने के

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूडू

लगातार.....4

(4)

कोरम द्वारा सर्वसम्मति से नामांतरण अस्वीकार किया गया।

उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक ने उक्त नामान्तरण को नियमानुसार सही होना जाहिर किया है एवं ग्राम पंचायत ने महज प्रार्थी के कोरम के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित नही होने की वजह से खारिज किया है जो राजस्व नियमों अनुसार विधि सम्मत नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 726 दिनांक 22.02.2021 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर उक्त नामान्तरण पर निर्णय लिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



22/4/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फारुगी जिला - दूदू